उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में

नैनीताल में

अप्रैल, 2022 के 06 वें दिन

पहले:

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी 2020 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 1226

बीच में:

कविता आर्य व अन्य। .....याचिकाकर्ता (श्री आर सी टम्टा एवं सुश्री मीनू,अधिवक्ता द्वारा)

और:

उत्तराखंड राज्य और अन्य। ...प्रतिवादी (श्री एमसी पांडे, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वी.एस. रावत, उत्तराखंड राज्य के स्थायी वकील और श्री राजेंद्र डोभाल और श्री हरि मोहन भाटिया, हस्तक्षेपकर्ताओं के वकील के साथ)

निर्णय

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना

2. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके पास आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा विभाग में फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं हैं। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। उनकी शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या द्वारा जारी विज्ञापनों में। 2 हाल के दिनों में फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पद आरक्षित नहीं थे। उनके अनुसार यह राज्य की आरक्षण नीति का उल्लंघन है। उन्होंने विज्ञापन दिनांक 26.09.2020 को इस आधार पर चुनौती दी है कि विज्ञापित 71 पदों में से केवल एक पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

3. आपत्तिजनक विज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि यह 24.09.2020 को जारी पूर्व विज्ञापन में संशोधन के लिए जारी किया गया था। पहले के विज्ञापन (रिट याचिका के अनुबंध-5) में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं था, जबकि विवादित विज्ञापन में एक पद अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा इस रिट याचिका में मांगी गई राहत इस प्रकार है:-

"मैं प्रतिवादी संख्या 2 (अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में) द्वारा जारी संशोधित विज्ञापन संख्या 4472/जी-23/2020-2021/आधि दिनांक 26.09.2020 को रद्द करने के लिए एक रिट, या आदेश या निर्देश जारी करता हूं।).

द्वितीय। निर्धारित कानून के अनुसार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पद पर आरक्षण के रोस्टर का पालन करने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने/निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि आरक्षण नीति के अनुसार राज्य सेवाओं में 19% पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होना आवश्यक है, इसलिए विज्ञापित 71 रिक्तियों में से कम से कम 19%, यानी 13 पद अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। इस प्रकार उनके अनुसार, उत्तरदाताओं ने अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पदों को आरक्षित न करके राज्य की आरक्षण नीति के विपरीत कार्य किया है।

6. निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाएं (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। पैराग्राफ नं। काउंटर एफिडेविट के 4, विज्ञापन की तिथि यानी 26.09.2020 को फार्मासिस्ट के कैडर में रिक्ति की स्थिति सारणीबद्ध रूप में दी गई है। उसी के अवलोकन से पता चला है कि के रूप में

26.09.2020 को विभाग में फार्मासिस्ट के कुल 692 पद स्वीकृत थे; जिनमें से 130 अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आयोजित किए गए थे; 27 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के पास थे और 97 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के पास थे। इससे यह भी पता चलता है कि आरक्षण

नीति के अनुसार फार्मासिस्ट के स्वीकृत 692 पदों में से 131.48 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना आवश्यक है; अनुसूचित जनजाति के लिए 27.68 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 96.88 आरक्षित होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या को राउंड ऑफ करने पर यह आंकड़ा अनुसूचित जाति के लिए 131, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 97 हो जाता है।

7. प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर पूरक प्रतिशपथ पत्र दिनांक 06.01.2022 में। 2, यह दोहराया जाता है कि, आरक्षण नीति के अनुसार, 131 पद अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं और वर्तमान में 692 पदों में से 130 पद उक्त श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा धारित हैं। यह आगे कहा गया है कि चूंकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित केवल एक पद रिक्त है, इसलिए आक्षेपित विज्ञापन में एक पद अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया है। पैराग्राफ नं। पूरक जवाबी हलफनामे का 5 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"5. कि पूरक शपथ पत्र के पैरा संख्या 3 की सामग्री के उत्तर में यह यहां प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर में पैराग्राफ के तहत याचिकाकर्ता का तर्क है कि वर्ष 2016 में आयुर्वेदिक अस्पतालों के उन्नयन के कारण आयुर्वेदिक के नए पद विभाग में फार्मासिस्ट सृजित किया गया है, भ्रामक है, बल्कि सत्य तथ्य यह है कि शासकीय आदेश क्रमांक 903/XXXX/2016-148/2011 दिनांक 11.08.2016 द्वारा पूर्व में स्वीकृत आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 58 पदों को क्रमोन्नत किया गया है. प्रमुख के पद पर

4

फार्मासिस्ट के रूप में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पूर्व स्वीकृत पद में फार्मासिस्ट के 58 पदों की कमी है तथा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट से मुख्य फार्मासिस्ट के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की गयी है. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमानुसार प्रोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है, जहां तक याचिकाकर्ता के उत्तर के पैराग्राफ में तर्क है कि वर्ष 2017 में आयुष विंग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 192 पद और यूनानी फार्मासिस्ट के 5 पद थे। किया गया है, गलत है बल्कि सत्य तथ्य यह है कि आयुष विंग में शासनादेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा 90 पद सृजित एवं शासनादेश दिनांक

02.01.2017 द्वारा आयुष विंग में 90 पद सृजित किये गये हैं, इस प्रकार अब तक कुल 692 पद विभाग में और आरक्षण अधिनियम के अनुसार आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की संख्या स्वीकृत है,

(692x19/100=131.48)। यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 130 पदों के विरुद्ध 130 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट (अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार) कार्यरत हैं और केवल 1 पद ही रिक्त है, जो दिनांक 26.09.2020 के विज्ञापन में विज्ञापित किया गया है, लेकिन विषयाधीन है। इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्टे ऑर्डर के तहत। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां स्थगन आदेश की समाप्ति के तुरंत बाद की जाएंगी, इसके अलावा सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई या आकस्मिक मृत्यु, जो भी कारण हो, से आरक्षित श्रेणी से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पद संबंधित है तो उस पद को रोस्टर के अनुसार उस वर्ग विशेष के अभ्यर्थी से भरा जायेगा। इस माननीय न्यायालय के मात्र अवलोकन के लिए a

विभाग में फार्मासिस्ट के स्वीकृत पदों के विवरण की सत्य/फोटोकॉपी/सही टंकित संस्करण इसके साथ दाखिल किया जा रहा है और इस शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या एससीए-1 के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।"

8. पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट संख्या-1 के रूप में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से पता चलता है कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 692 स्वीकृत पद और यूनानी फार्मासिस्ट के 5 स्वीकृत पद हैं। इस प्रकार विभाग में फार्मासिस्ट के स्वीकृत पदों की कुल संख्या बढ़कर 697 हो जाती है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट का एकीकृत संवर्ग हो तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या 132 हो जाएगी।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 26.09.2020 का विज्ञापन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा आरक्षण लागू करने के लिए रोस्टर तैयार किया गया है।

5

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार उनके अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित स्लॉट/रोस्टर प्वाइंट के विरूद्ध सामान्य एवं अन्य श्रेणी के व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

10. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा किया गया निवेदन अस्वीकार्य है, यदि प्रतिवादी संख्या द्वारा लिया गया स्टैंड। 2 के जवाबी हलफनामे को स्वीकार किया जाता है, तो विज्ञापन दिनांक 26.09.2020 को चुनौती बिना किसी पदार्थ के है। रोस्टर एक उपकरण है, जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं में उनका उचित हिस्सा मिले। रोस्टर एक चालू खाते के रूप में कार्य करता है, हालांकि, एक बार कुल संवर्ग में आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो जाता है, तो उसके बाद संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को उन व्यक्तियों की श्रेणी में से भरा जाना है जिनके लिए संबंधित रिक्तियां संबंधित हैं।

11. राज्य की लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 द्वारा शासित है। धारा 3 की उप-धारा (5) उक्त अधिनियम को निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

" **3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग** के पक्ष में आरक्षण ।

…

…

(5) राज्य सरकार उप-धारा (1) के तहत आरक्षण लागू करने के लिए, एक अधिसूचित आदेश द्वारा, लोक सेवा या पद की कुल संवर्ग शक्ति से युक्त एक रोस्टर जारी करेगी, जिसमें आरक्षित बिंदुओं का उल्लेख होगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर होगा उप-धारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्राप्त होने तक वर्ष-दर-वर्ष चालू खाते के रूप में लागू किया जाता है और उसके बाद रोस्टर और चालू खाते का संचालन समाप्त हो जाएगा, और तत्पश्चात् जब लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो उसे रोस्टर में जिस श्रेणी का पद है, उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायेगा।"

12. उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नियुक्ति में आरक्षण लागू करने हेतु तैयार रोस्टर को वर्ष-दर-वर्ष चालू खाते के रूप में लागू किया जाना है, तथापि स्थिति आने पर विभिन्न आरक्षित वर्गों को पर्याप्त आरक्षण नीति के अनुसार प्रतिनिधित्व, तब रोस्टर/रनिंग अकाउंट का संचालन समाप्त होना चाहिए और उसके बाद जब कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उसे उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से भरना होगा, जिसका पद रोस्टर में है।

13. आरके सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने (1995) 2 एससीसी 745 में आरक्षण नीति और रोस्टर के परस्पर क्रिया पर विचार करते हुए रिपोर्ट दी कि बनाए रखने का उद्देश्य रोस्टर के रूप में चालू खाता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को उनके आरक्षित पदों का प्रतिशत मिले और आगे चल रहे खाते की अवधारणा को इस तरह से व्याख्यायित किया जाए कि इसका परिणाम अत्यधिक आरक्षण न हो।

7

पैराग्राफ नं। उक्त निर्णय के 5, 6, 7, 8 और 9 तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

" **5.** हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दूसरे तर्क में काफी बल देखते हैं। विवादित सरकारी निर्देशों के तहत प्रदान किए गए आरक्षण को प्रत्येक विभाग में बनाए जाने वाले रोस्टर के अनुसार संचालित किया जाना है। रोस्टर को लागू किया जाता है। वर्ष-दर-वर्ष चल रहे खाते का उद्देश्य

"रनिंग अकाउंट" यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को उनके आरक्षित पदों का प्रतिशत मिले। विवादित निर्देशों में "रनिंग अकाउंट" की अवधारणा को इस तरह से व्याख्यायित किया जाना चाहिए कि इसका परिणाम अत्यधिक आरक्षण न हो। "16% पद ..." अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। लॉट में क्रमांक 1, 7, 15, 22, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 80, 87 एवं 91 में आने वाले 100 पदों को रोस्टर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एवं चिन्हित किया गया है। . रोस्टर अंक 26 एवं 76 पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब एक संवर्ग में भर्ती शुरू होती है तो रोस्टर में निर्धारित 14 पदों को अनुसूचित जाति के सदस्यों में से भरा जाना है। उदाहरण

देकर स्पष्ट करने के लिए, संवर्ग में प्रथम पद अनुसूचित जाति को जाना चाहिए और उसके बाद उक्त वर्ग 7 वें, 15 वें, 22 वें और उसके बाद 91 वें पद तक का हकदार है। जब एक संवर्ग में पदों की कुल संख्या रोस्टर के संचालन से भरी जाती है तो आक्षेपित निर्देशों द्वारा परिकल्पित परिणाम प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, 100 पदों के एक संवर्ग में जब अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए रोस्टर में निर्धारित पदों को भर दिया जाता है तो आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। हमें इसके बाद रोस्टर को संचालित करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। "चल रहा खाता" जब एक संवर्ग में पदों की कुल संख्या रोस्टर के संचालन से भरी जाती है तो आक्षेपित निर्देशों द्वारा परिकल्पित परिणाम प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, 100 पदों के एक संवर्ग में जब अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए रोस्टर में निर्धारित पदों को भर दिया जाता है तो आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। हमें इसके बाद रोस्टर को संचालित करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। "चल रहा खाता" जब एक संवर्ग में पदों की कुल संख्या रोस्टर के संचालन से भरी जाती है तो आक्षेपित निर्देशों द्वारा परिकल्पित परिणाम प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, 100 पदों के एक संवर्ग में जब अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए रोस्टर में निर्धारित पदों को भर दिया जाता है तो आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। हमें इसके बाद रोस्टर को संचालित करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। "चल रहा खाता"

केवल तब तक काम करना है जब तक कि विवादित निर्देशों के तहत प्रदान किया गया कोटा पूरा नहीं हो जाता है और उसके बाद नहीं। एक बार पदों का निर्धारित प्रतिशत भर जाने के बाद पर्याप्तता का संख्यात्मक परीक्षण पूरा हो जाता है और उसके बाद रोस्टर जीवित नहीं रहता है। आरक्षण का प्रतिशत राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों का वांछित प्रतिनिधित्व है और उनकी जनसंख्या के संबंध में निकाले गए अनुपात के आधार पर जनसांख्यिकीय अनुमान के अनुरूप है। पदों का संख्यात्मक कोटा एक स्थानांतरण सीमा नहीं है, बल्कि दिमाग के उचित उपयोग के साथ एक आंकड़ा दर्शाता है। इसलिए, पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका रोस्टर को संबंधित समय तक काम करने की अनुमति देना है।

नियुक्त व्यक्ति/पदोन्नति रोस्टर में उनके लिए निर्धारित पदों पर कब्जा कर लेते हैं। रोस्टर के संचालन और

उसके बाद "चालू खाता" समाप्त होना चाहिए। प्रारंभिक पदों के भरे जाने के बाद संवर्ग में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों से कोई कठिनाई नहीं होगी। जब भी किसी विशेष पद पर स्थायी या अस्थायी रूप से कोई रिक्ति होती है, तो उसे उस श्रेणी से भरा जाना होता है जिससे वह पद रोस्टर में संबंधित होता है। उदाहरण के लिए रोस्टर प्वाइंट 1, 7, 15 पर पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ये स्लॉट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में से भरे जाने हैं। इसी प्रकार यदि अंक 8 से 14 अथवा 23 से 29 तक पद धारण करने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्त होते हैं तो ये स्थान सामान्य वर्ग से भरे जाने हैं। इस प्रक्रिया का पालन करने से आरक्षण के प्रतिशत में न तो कमी होगी और न ही अधिकता।

6. आरक्षण के लिए प्रदान करने वाले कार्यकारी निर्देशों में अक्सर 'पद' और 'रिक्तियों' की अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, बल्कि यह समस्यात्मक है। शब्द 'पोस्ट'

मतलब नियुक्ति, नौकरी, कार्यालय या रोजगार। एक पद जिसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। 'रिक्ति' का अर्थ है खाली पद या कार्यालय। इन दो भावों का सीधा अर्थ यह स्पष्ट करता है कि 'रिक्ति' को सक्षम करने के लिए एक 'पद' अस्तित्व में होना चाहिए। संवर्ग-शक्ति हमेशा संवर्ग में शामिल पदों की संख्या से मापी जाती है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार केवल एक संवर्ग में किसी पद के संबंध में ही दावा किया जा सकता है। परिणामस्वरूप आरक्षण के प्रतिशत की गणना पदों की संख्या के संबंध में की जानी है जो संवर्ग-शक्ति का निर्माण करते हैं। आरक्षण के प्रतिशत के संचालन में 'रिक्ति' की अवधारणा की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

7. जब एक संवर्ग में सभी रोस्टर बिंदु भर जाते हैं तो आरक्षण का आवश्यक प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। आरक्षण नीति के अनुसार एक बार कुल संवर्ग में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्गों का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो जाने के बाद संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को उन व्यक्तियों की श्रेणी में से भरा जाना है जिनसे संबंधित रिक्तियां संबंधित हैं। ***जीवन रेड्डी, जे. इंद्रा साहनी*** बनाम *भारत संघ* 3 में बहुमत के लिए बोलते हुए निम्नानुसार देखा गया:

(**एससीसी पृष्ठ 737** , पैरा 814)

जब तक उनमें से प्रत्येक के लिए निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो जाता। इसमें काफी वर्ष लग सकते हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है। इस बीच, खुली प्रतियोगिता श्रेणी के सदस्य आयु-वर्जित और अपात्र हो जाएंगे। उनके मामले में अवसर की समानता एक मृगमरीचिका मात्र होगी। यह याद रखना चाहिए कि खंड (1) द्वारा गारंटीकृत अवसर की समानता खंड के दौरान देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है

(4) सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के पक्ष में किए जा रहे विशेष प्रावधान पर विचार करता है। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ संतुलित होना चाहिए। किसी को भी दूसरे पर ग्रहण लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपरोक्त कारण से, हम मानते हैं कि 50% प्रति वर्ष के नियम को लागू करने के उद्देश्य से इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए न कि संवर्ग, सेवा या इकाई की पूरी ताकत, जैसा भी मामला हो।

8. उद्धृत अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत सामान्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए एक इकाई के रूप में 50% प्रति वर्ष और न कि संवर्ग की पूरी ताकत के नियम को अपनाया गया है। . *इंद्रा साहनी मामले* में ये टिप्पणियां केवल उन पदों के संबंध में हैं जो प्रारंभिक रूप से एक संवर्ग में भरे जाते हैं। संवर्ग-शक्ति को भरने के लिए रोस्टर का संचालन स्वयं ही सुनिश्चित करता है कि आरक्षण 50% की सीमा के भीतर बना रहे। *इंद्रा साहनी मामला* इस बात का अधिकार नहीं है कि संवर्ग-शक्ति पूर्ण होने और आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त होने के बाद रोस्टर जीवित रहे।

9

9. *जे.सी. मलिक* बनाम *भारत संघ* में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण प्रदान करने वाले रेलवे बोर्ड के दिनांक 20-4-1970 के परिपत्र की व्याख्या की। उच्च न्यायालय ने माना कि आरक्षण का प्रतिशत एक संवर्ग में पदों पर नियुक्ति के संबंध में है। उच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि यदि एक संवर्ग में सभी पदों को भरने के बाद रिक्तियों में आरक्षण की अनुमति दी जाती है तो इसके गंभीर परिणाम

होंगे और सामान्य वर्ग को काफी नुकसान होने की संभावना है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई दुर्बलता नहीं देखते हैं।"

14. एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में , (2006) 8 एससीसी 212 में रिपोर्ट किया गया, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के सवाल से निपटने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ पैरा 119 में कहा गया है कि "यदि किसी दिए गए मामले में अदालत को राज्य अधिनियम के तहत अत्यधिक आरक्षण मिलता है, तो इस तरह की अधिनियमन को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि यह उपरोक्त संवैधानिक आवश्यकताओं के अपमान की राशि होगी"।

पैरा संख्या का प्रासंगिक उद्धरण। उक्त निर्णय का 43 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"43. ... इसलिए, सार्वजनिक रोजगार में "अवसर की समानता" की अवधारणा एक व्यक्ति से संबंधित है, चाहे वह व्यक्ति सामान्य श्रेणी या पिछड़े वर्ग से संबंधित हो। अनुच्छेद 16(1) के तहत व्यक्तिगत अधिकार का परस्पर विरोधी दावा और दिए गए अधिमान्य उपचार एक पिछड़े वर्ग के लिए संतुलित होना चाहिए। दोनों दावों को हासिल करने के लिए एक विशेष उद्देश्य है। सवाल इन परस्पर विरोधी हितों और दावों के अनुकूलन का है।"

15. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा तैयार रोस्टर को लागू किया जाना चाहिए जब भी किसी संवर्ग में नियुक्तियां की जाती हैं, यदि स्वीकार किया जाता है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के पक्ष में अत्यधिक आरक्षण हो सकता है, इस प्रकार अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। अन्य श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए। **इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य के** मामले में विचार किया गया है । और

अन्य, (2010) 3 एससीसी 119 में रिपोर्ट किया गया । पैराग्राफ नं। उक्त निर्णय का 42 नीचे निकाला गया है: -

"42. पोस्ट ***ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल*** *एजुकेशन एंड रिसर्च* बनाम *फैकल्टी एसोसिएशन* [4] (*पीजीआईएमईआर केस*) में पैरा 32 में इसी सिद्धांत को निम्नानुसार दोहराया गया था:

" *32 /* अनुच्छेद 14, 15 और 16 सहित अनुच्छेद 16(4), 16(4-ए) को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए ताकि आरक्षित वर्गों के लिए उचित अवसर पैदा करके नियुक्तियों के मामले में संतुलन बना रहे और साथ ही समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए जो आरक्षित वर्ग से संबंधित नहीं हैं। *बालाजी मामले , देवदासन मामले* और *सभरवाल मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसलों में इस तरह के विचार का संकेत दिया गया है। यहां तक कि इंद्रा साहनी मामले* में भीयह संकेत देकर एक ही दृष्टिकोण रखा गया है कि केवल 50% से अधिक नहीं सीमित आरक्षण की अनुमति है। यह सराहना की जानी चाहिए कि अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 16(4) की तरह एक सक्षम प्रावधान है और किसी भी प्रावधान के तहत आरक्षण वैध सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने में, राज्य बाकी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 15(4) [सिक 16(4)] के तहत विशेष प्रावधान को कई प्रासंगिक विचारों के बीच संतुलन बनाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ना चाहिए। *इस संबंध में एपी राज्य* बनाम *यूएसवी बलराम* और *सीए राजेंद्रन* में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

वी। *भारत संघ* । *इंद्रा साहनी मामले* में यह संकेत दिया गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) खंड (1) के अपवाद की प्रकृति में नहीं है और

(2) अनुच्छेद 16 का लेकिन खंड (1) द्वारा अनुमत वर्गीकरण का एक उदाहरण। उक्त निर्णय में यह भी संकेत दिया गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (2) द्वारा कवर किए गए पूरे क्षेत्र को कवर नहीं करता है। इंद्रा साहनी केस 2 में इस न्यायालय ने यह भी *संकेत दिया* [5] कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों के हितों के लिए, राज्य सभी नियुक्तियों को राज्य के अधीन या उनमें से अधिकांश को भी आरक्षित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 के खंड (1) में अवसर की समानता के सिद्धांत का अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत पिछड़े वर्गों के पक्ष में इस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाना है कि उत्तरार्द्ध पिछड़े वर्गों के कारण की सेवा करते हुए अनुचित रूप से अतिक्रमण नहीं करेगा। समानता का क्षेत्र। ”

इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत मौलिक अधिकार को अर्थहीन बना दिया जाए। *इंद्रा साहनी* [2] में इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है: (**एससीसी पृष्ठ 740** , पैरा 818)

" *818* ... हमारी राय में, हालांकि, आगे ले जाने वाले नियम के आवेदन का परिणाम, जिस भी तरीके से इसे संचालित किया जाता है, [होगा] 50% नियम का उल्लंघन नहीं होगा।"

इसलिए, इस बात का अत्यधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि इंद्रा साहनी मामले [2] में इस न्यायालय द्वारा किसी विशेष वर्ष में आरक्षण पर निर्धारित 50% अधिकतम सीमा को बनाए रखा जाना चाहिए । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने में कोई कमी न आए।

11

16. प्रतिवादी सं. 2, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 131 पदों के विरुद्ध 130 पद पहले से ही अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के पास हैं और केवल एक पद है, जिसे अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त करके भरा जाना आवश्यक है। इसी तरह, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 पद नीति के अनुसार आरक्षित हैं, जिनमें से 27 पहले से ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पास हैं। विज्ञापन में एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, अतः विज्ञापन में किसी प्रकार की कमी नहीं है।

17. इस मामले को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 26.09.2020 के विज्ञापन को दी गई चुनौती बिना किसी सार के है और इस मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

18. प्रतिशपथ पत्र एवं पूरक प्रतिशपथपत्र में फार्मासिस्ट की संवर्ग संख्या 692 अंकित है, तथापि पूरक प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज से ज्ञात होता है कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 692 पदों के अतिरिक्त यूनानी के 5 स्वीकृत पद हैं। फार्मासिस्ट। यह ज्ञात नहीं है कि आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्टों का एक एकीकृत संवर्ग मौजूद है या नहीं। यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या 131 से बढ़कर 132 हो जाएगी।

19. पक्षकारों द्वारा किसी भी दलील के अभाव में, यह न्यायालय उपरोक्त पहलू पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता है।

20. इस मामले को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है। 2 पूर्वोक्त विसंगति को उजागर करता है। यदि याचिकाकर्ता तीन के भीतर ऐसा अभ्यावेदन करते हैं

आज से सप्ताह, प्रतिवादी सं। 2 इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार इस मामले में निर्णय लेंगे।

2 1. उक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 2। अंतरिम आदेश दिनांक 15.10.2 020 को रिक्त किया जाता है। उत्तरदाताओं को बिना किसी और देरी के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी नियुक्ति प्रतिवादी संख्या द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेगी। याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर 2.

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)